आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
19.12.24	न्यायालय उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, गढ़वा। राज्यसात वाद संख्या–17/2008 राज्य बनाम लाल बिहारी पासवान **आदेश** यह वाद पुलिस अधीक्षक, गढ़वा के पत्रांक 880, दिनांक 14.06.2008 द्वारा समर्पित राज्यसात प्रस्ताव पर प्रारंभ किया गया। उक्त पत्र द्वारा भवनाथपुर थाना कांड संख्या–93/2007, दिनांक 01.07.2007 में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 07 के तहत राम स्वरूप पासवान के मकान से जब्त 26 बोरा चावल एवं लाल बिहारी पासवान के मकान से जब्त 50 बोरा चावल के विरूद्ध राज्यसात की कार्रवाई प्रस्तावित है। इस कांड के प्राथमिकी अभियुक्त 1. श्री लाल बिहारी पासवान, पिता–स्व0 बद्री पासवान, साकिन–कच्छरवा, थाना–भवनाथपुर, जिला–गढ़वा 2. राम स्वरूप पासवान, पिता–किशुन पासवा, साकिन–राहिनिया, थाना– भवनाथपुर, जिला–गढ़वा एवं 3. श्री घूरन साव, पिता–नामालूम, साकिन–राहिनिया, थाना– भवनाथपुर, जिला–गढ़वा हैं। प्राप्त राज्यसात प्रस्ताव एवं संलग्न कागजात का अवलोकन किया गया, जिससे उक्त मामले के संबंध में निम्नांकित बातें प्रकाश में आती हैं:– 1. यह कांड वादी श्री किशोर कुमार गुप्ता, तत्कालीन प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, भवनाथपुर के प्रतिवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त (1) श्री लाल बिहारी पासवान, पिता–स्व0 बद्री पासवान, साकिन–कच्छरवा, थाना–भवनाथपुर, जिला–गढ़वा (2) राम स्वरूप पासवान, पिता–किशुन पासवान, साकिन–रोहिनिया, थाना– भवनाथपुर, जिला–गढ़वा एवं (3) श्री घूरन साव, पिता–नामालूम, साकिन–रोहिनिया, थाना– भवनाथपुर, जिला–गढ़वा के विरूद्ध	

सरकारी चावल के कालाबाजारी के नियत से अपने मकान में रखे जाने के आरोप में दर्ज किया गया।

2. दिनांक 11.07.2007 को सुबह 07:00 बजे ग्राम रोहिनिया के गामीणों द्वारा एतद् संबंधी दिये गये सूचना के आधार पर श्री किशोर कुमार गुप्ता, तत्कालीन प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, भवनाथपुर द्वारा थाना प्रभारी, भवनाथपुर के साथ दिनांक 11.07.2007 को ही सुबह 08:00 बजे श्री लाल बिहारी पासवान, पिता–स्व0 बद्री पासवान, साकिन–कच्छरवा, थाना–भवनाथपुर, जिला–गढ़वा के घर पर छापा मारा, तो तलाशी में उनके मकान में 50 बोरा चावल रखा हुआ पाया गया, जो हाथ से सिला हुआ था। बोरे के समीप ही FCI का मार्का का लेबल उखाड़कर रखा हुआ पाया गया। उस समय घर पर श्री लाल बिहारी पासवान नहीं थे। घर के लोगों से जब्त चावल का वैध कागजात की मांग की गई, परन्तु उनके द्वारा उक्त चावल का कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे प्रतीत होता है कि FCI का लेबल उखाड़कर तथा बोरा पलटकर चावल भरकर कालाबाजारी हेतु रखा गया था। फलतः दो स्थानीय स्वतंत्र गवाहों के समक्ष चावल की बोरियों को जब्त कर ली गई एवं उसकी जब्ती सूची बनाई गई।

3. तत्पश्चात लगभग सुबह 09:00 बजे श्री किशोर कुमार गुप्ता, तत्कालीन प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, भवनाथपुर एवं थाना प्रभारी, भवनाथपुर द्वारा ग्राम रोहिनिया स्थित श्री राम स्वरूप पासवान, पिता–किशुन पासवान, साकिन–रोहिनिया, थाना– भवनाथपुर, जिला–गढ़वा के घर पहुंचे एवं उनके मकान की भी तलाशी लिये, तो उनके मकान में 26 बोरा चावल रखा हुआ पाया गया, जो हाथ से सिला हुआ था। बोरे के समीप ही FCI का मार्का का लेबल उखाड़कर रखा हुआ पाया गया। उस समय घर पर श्री राम स्वरूप पासवान नहीं पाये गये। उनकी बूढ़ी मां ने बताया कि चार दिन पहले घूरन साव, साकिन–रोहिनिया द्वारा उक्त चावल लाकर रखा गया है। घर के लोगों द्वारा उक्त चावल का कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इससे स्पष्ट होता है कि श्री राम स्वरूप पासवान द्वारा भी FCI का लेबल उखाड़कर तथा बोरा पलटकर

चावल भरकर कालाबाजारी हेतु रखा गया था। फलतः दो स्थानीय स्वतंत्र गवाहों के समक्ष चावल की बोरियों को जब्त कर ली गई एवं उसकी जब्ती सूची बनाई गई।

4. श्री राम स्वरूप पासवान की बूढ़ी मां के बयान पर इस कांड में श्री घूरन साव, साकिन–रोहिनिया को तीसरा प्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया है।

5. तत्पश्चात आरोपी (1) श्री लाल बिहारी पासवान, पिता–स्व0 बद्री पासवान, साकिन–कच्छरवा, थाना–भवनाथपुर, जिला–गढ़वा (2) श्री राम स्वरूप पासवान, पिता–किशुन पासवान, साकिन–रोहिनिया, थाना– भवनाथपुर, जिला–गढ़वा एवं (3) श्री घूरन साव, पिता–नामालूम, साकिन–रोहिनिया, थाना– भवनाथपुर, जिला–गढ़वा के विरूद्ध सरकारी चावल के कालाबाजारी के नियत से अपने मकान में रखे जाने के आरोप में भवनाथपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज करते हुए वांछित प्रतिवेदन के साथ उचित माध्यम से राज्यसात का प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में समर्पित किया गया।

6. इस वाद में उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करते हुए अधेहस्ताक्षरी के Predecessors द्वारा सुनवाई की गई है। उभय पक्ष द्वारा लिखित समर्पण किय गया है। विपक्षी द्वारा बताया गया है कि उक्त मामले में SDJM, Garhwa के न्यायालय द्वारा उन्हें दिनांक 15.02.2011 को ही दोषमुक्त कर दिया गया है। विपक्षी द्वारा इस आशय का SDJM, Garhwa के न्यायालय से पारित न्यायादेश समर्पित किया गया है। साथ ही विपक्षी द्वारा इस आशय का भी शपथ पत्र समर्पित किया गया है कि भविष्य में उनके द्वारा अथवा उनके किसी वारिसान के द्वारा जब्त चावल पर दावा नहीं किया किया जाएगा।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में अधोहस्ताक्षरी को आगे इस वाद की कार्रवाई जारी रखना अप्रासंगिक प्रतीत होता है, जबकि विपक्षीगण को इस मामले में SDJM, Garhwa के न्यायालय द्वारा दिनांक 15.02.2011 को ही दोषमुक्त किया जा चुका है। अतः भवनाथपुर थाना कांड संख्या–93/2007, दिनांक 01.07.2007 में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 07 के तहत श्री लाल बिहारी पासवान, पिता–स्व0 बद्री पासवान, साकिन–कच्छरवा, थाना–भवनाथपुर, जिला–गढ़वा के मकान

से जब्त 50 बोरा चावल एवं श्री राम स्वरूप पासवान, पिता–किशुन पासवान, साकिन–रोहिनिया, थाना–भवनाथपुर, जिला–गढ़वा से जब्त 26 बोरा चावल के विरूद्ध राज्यसात की कार्रवाई समाप्त किया जाता है। भविष्य में कभी भी विपक्षीगण अथवा उनके किसी वारिसान का उपरोक्त कांड में जब्त चावल पर कोई दावा नहीं होगा।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त–सह–जिला
दण्डाधिकारी, गढ़वा

19.12.24
उपायुक्त–सह–जिला
दण्डाधिकारी, गढ़वा

Digitally signed by SHEKHAR JAMUAR
Date: 2025.01.03 16:55:08 +05:30
Location: 192.168.31.7